पत्रांक–11/मु 9–109/2024 1570
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31/05/2024.

विषयः– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या –2270/2024 (संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–29.05.2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2270/2024 (संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–29.05.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"........Considering the fact and circumstances of the case, I am of the view that both the contract teachers and the guest teachers are discharging same duties as they are teaching the students in the school and there is no difference between the contract teachers and the guest teachers. In my opinion, the Guest teachers are also entitled to 5 marks for each 1 year of employment and maximum 25 marks as given to the contract teachers. Accordingly, this writ petition is allowed and the State Government is directed to take final decision to grant of 5 marks for each year of employment and maximum 25 marks to the guest teacher as given to the contract teachers, within one month. The advertisement no.-22/2024 dated 07.02.2024 is hereby stayed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक–51 दिनांक–25.01.2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 (अद्यतन यथा संशोधित) के

द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 दायर करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक–51 दिनांक–25.01.2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 (अद्यतन यथा संशोधित) के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे।

उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30/5/24

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–11/मु 9–109/2024 1470 पटना, दिनांक 31/05/2024

प्रतिलिपि:– विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

30/5/24

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–11/मु 9–109/2024 1470 पटना, दिनांक 31/05/2024

प्रतिलिपि:– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/श्री संदीप कुमार झा एवं अन्य वादियों को सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/24

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–11/मु 9–109/2024 1470 पटना, दिनांक 31/05/2024

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/24

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।